भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ0सी0 / 831 दिनॉक: 17.01.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक 2000 / 11–सी–FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 14.12.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1278 / 81–2–2021–800(123) / 2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के समक्ष विचारार्थ REC Agenda Item No. 73.4 (U.P) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी / सूचना मांगी गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है, जो कि अधूरी है। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पुनः प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी / सूचना प्रेषित की जाए, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:–

i. The report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reason that responsibility for failure of plantation cannot be fixed due to a lapse of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cogent. All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsibility and responsibility needs to be fixed.

ii. The sites were under Plantation Working Circle of Working Plan for the period of 2007-2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.

भवदीया,

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ0प्र0 वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

17.01.2023

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}